# कार्यालय उप निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, जयपुर सम्भाग, जयपुर

क्रमांक : शिउनि/मा/जय/संस्था 1बी/फा–पात्रता/वरिष्ठ अध्यापक/डीपीसी 2017–18/ दिनांक : 18.10.2017

## पदस्थापन परामर्श सूचना (Councelling for Posting information)

राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा–निर्देश पत्र पत्र क्रमांक प.17(4) शिक्षा–2/2009 पार्ट दिनांक 16.10.2017 एवं समसंख्यक दिनांक 17.10.2017 के अनुसरण में वरिष्ठ अध्यापक (विभिन्न विषय) के वर्ष 2017–18 की डीपीसी से चयनित शिक्षकों का पदस्थापन दिनांक 25.10.2017 से परामर्श कैम्प आयोजन कर किया जाना है। जयपुर मण्डल के वर्ष 2017–18 की डीपीसी से चयनित शिक्षकों का परामर्श कैम्प निम्न कार्यक्रमानुसार

## राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, मालवीय नगर, जयपुर

पर आयोज्य है –

| क्र.सं. | दिनांक 25.10.2017 | दिनांक 26.10.2017 | दिनांक 27.10.2017 |
|---|---|---|---|
| 01. | सामाजिक विज्ञान | गणित | हिन्दी |
| 02. | सामान्य | विज्ञान | संस्कृत |
| 03. | -- | अंग्रेजी | -- |

कैम्प के लिए पंजीयन का समय प्रातः 8.30 से 10.00 बजे के मध्य रहेगा। **विलम्ब से उपस्थित होने वाले आशार्थियों को काउंसलिंग हेतु निर्धारित वरीयता का लाभ देय नहीं होगा।** सम्बन्धित शिक्षक अपने विषय से सम्बन्धित परामर्श तिथि को कैम्प में उपस्थित होकर पदस्थापन हेतु स्थान का चयन करें। परामर्श कैम्प में उपस्थित होकर विद्यालय का चयन नहीं करने वाले शिक्षकों एवं अनुपस्थित शिक्षकों का विभाग द्वारा प्रदर्शित रिक्तियों में से शेष रही रिक्तियों पर कहीं भी पदस्थापन किया जा सकेगा।

शिक्षकों की विषयवार वरीयता सूची एवं पदस्थापन हेतु निर्धारित की गई रिक्त पदों की विद्यालयवार सूची विभागीय वेबसाईट rajrmsa.nic.in पर प्रदर्शित की गई है।

**वरीयता सूची में अंकित शिक्षक निम्न दस्तावेज अनिवार्य रूप से लेकर उपस्थित हों।**

1. पहचान पत्र (आई.डी.) (मूल एवं छाया प्रति)
2. शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता संबंधी दस्तावेज (B.A., M.A. & B.Ed.) (मूल एवं छाया प्रति)
3. जिन कार्मिकों ने ई–मेल के माध्यम से वरीयता में प्राथमिकता प्राप्त करने हेतु आवेदन किया है, उन्हें यह लाभ मूल दस्तावेज दिखाए जाने पर ही मिल सकेगा अन्यथा प्राथमिकता क्रम निरस्त कर उनकी वरीयता पुनः निर्धारित कर दी जाएगी।
4. पदस्थापन स्थान/जन्म तिथि में भिन्नता होने पर माध्यमिक शिक्षा में कार्यरत कार्मिक प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक द्वारा एवं प्रारम्भिक शिक्षा में कार्यरत कार्मिक बीईईओ द्वारा जारी जन्म तिथि, वर्तमान पद एवं पदस्थापन स्थान का प्रमाण पत्र साथ लावें।

उपरोक्त दस्तावेजों के अभाव में कार्मिक को काउंसलिंग प्रक्रिया से बाहर किया जा सकता है। संबंधित समस्त संस्था प्रधान एवं ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी उपर्युक्तानुसार प्रमाण पत्र जारी करते हुए सुनिश्चित करें कि सूची में वर्णित अभ्यर्थी वांछित मूल दस्तावेजों एवं उनकी छाया प्रति सहित काउंसलिंग में उपस्थित हों।

(मुकेश कुमार शर्मा)
उप निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
जयपुर सम्भाग, जयपुर

# कार्यालय उप निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, जयपुर सम्भाग, जयपुर

क्रमांक : शिउनि / मा / जय / संस्था 1बी / फा–पात्रता / वरिष्ठ अध्यापक / डीपीसी 2017–18 / दिनांक : 17.10.2017

## वरिष्ठ अध्यापक डीपीसी 2017–18 में चयनित अध्यापकों के पदस्थापन हेतु सूचना

शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप–2) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर के पत्र क्रमांक प.17(4) शिक्षा–2 / 2009 पार्ट दिनांक 16.10.2017 एवं समसंख्यक दिनांक 17.11.2016 की पालना में जयपुर सम्भाग में वर्ष 2017–18 की डीपीसी से चयनित वरिष्ठ अध्यापकों की काउंसलिंग से पदस्थापन हेतु सूची प्रकाशित की जा रही है।

राज्य सरकार के उक्त पत्र की अनुपालना में पदस्थापन हेतु निम्न बिन्दुओं के आधार पर वरीयता प्राप्त किए जाने हेतु वरीयता निर्धारण प्रार्थना पत्र के साथ अपने दस्तावेज / प्रमाण पत्र इस कार्यालय की e-mail ID- **ddsjprdpc2017@gmail.com** पर दिनांक 18.10.2017 को सायं 5.00 बजे तक अनिवार्य रूप से प्रेषित करें।

| क्रम | वरीयता बिन्दु | वरीयता निर्धारण प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज / प्रमाण पत्र / अभ्यावेदन |
|---|---|---|
| I. | 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांग तथा असाध्य रोग (कैंसर अथवा ब्रेन ट्यूमर) से पीडित अभ्यर्थी | सक्षम चिकित्सक का प्रमाण पत्र |
| II. | विधवा एवं परित्यक्ता महिला अभ्यर्थी | आदिनांक तक पुनर्विवाह नहीं करने के शपथ पत्र के साथ<br>➢ विधवा की स्थिति में पति का मृत्यु प्रमाण पत्र<br>➢ परित्यक्ता की स्थिति में सक्षम न्यायालय की डिक्री |
| III. | महिला अभ्यर्थी | महिला अभ्यर्थी जिनके नाम के सम्मुख पुरुष अंकित हो गया है, वे इस संबंध में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें। |
| IV. | शेष अभ्यर्थी | पुरुष अभ्यर्थी जिनके नाम के सम्मुख महिला अंकित हो गया है, वे इस संबंध में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें। |

**निम्न प्रार्थना पत्रों / अभ्यावेदनों पर विचार नहीं किया जाएगाः–**

- **काउंसलिंग दिनांक को प्राप्त प्रार्थना पत्रो पर**
- **दिनांक 18.10.2017 को सायं 5.00 बजे के पश्चात प्राप्त प्रार्थना पत्रों पर**
- **व्यक्तिगत रूप से / डाक द्वारा प्रेषित प्रार्थना पत्रों पर**
- **अन्य e-mail ID पर प्राप्त प्रार्थना पत्रों**
- **अपूर्ण प्रार्थना पत्रों पर**
- **वरीयता क्रम के अतिरिक्त अन्य प्रार्थना पत्रों पर**

वरीयता सूची में प्राथमिकता क्रम में स्थान पाने वाले अभ्यर्थियों को काउंसलिंग दिनांक को रजिस्ट्रेशन के समय उक्त मूल दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे अन्यथा उनका प्राथमिकता क्रम निरस्त कर वरीयता सूची में संशोधन किया जाकर काउंसलिंग की जाएगी।

**(मुकेश कुमार शर्मा)**
उपनिदेशक, माध्यमिक शिक्षा
जयपुर सम्भाग, जयपुर

प्रतिलिपि :

1. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर
2. कार्यालय प्रति

उपनिदेशक, माध्यमिक शिक्षा
जयपुर सम्भाग, जयपुर





Scanned by CamScanner

# कार्यालय उप निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, जयपुर सम्भाग, जयपुर

## वरिष्ठ अध्यापक डीपीसी 2017–18 से चयनित अध्यापकों के पदस्थापन हेतु वरीयता निर्धारण हेतु प्रार्थना पत्र

| | | | |
|---|---|---|---|
| चयन का विषय | | वरिष्ठता क्रमांक एवं वर्ष | |
| नाम अभ्यर्थी | | वरीयता सूची में क्रम संख्या | |
| वर्तमान पदस्थापन स्थान | | | |

**वरीयता सूची में जो प्राथमिकता चाही गई है :–**

| वरीयता बिन्दु | वरीयता निर्धारण प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज/प्रमाण पत्र/अभ्यावेदन | हां का अंकन करें। |
|---|---|---|
| **40%से अधिक दिव्यांग** | सक्षम चिकित्सक के प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करें। | |
| **असाध्य रोग (कैन्सर एवं ब्रेन ट्यूमर)** | सक्षम चिकित्सक के प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करें। | |
| **विधवा महिला अभ्यर्थी** | पति के मृत्यु प्रमाण पत्र एवं आदिनांक तक पुनर्विवाह नहीं करने के शपथ पत्र की प्रति संलग्न करें। | |
| **परित्यक्ता महिला अभ्यर्थी** | सक्षम न्यायालय की डिक्री एवं आदिनांक तक पुनर्विवाह नहीं करने के शपथ पत्र की प्रति संलग्न करें | |
| **महिला अभ्यर्थी** | महिला अभ्यर्थी जिनके नाम के सम्मुख पुरुष अंकित हो गया है, वे इस संबंध में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें। | |
| **शेष अभ्यर्थी** | पुरूष अभ्यर्थी जिनके नाम के सम्मुख महिला अंकित हो गया है, वे इस संबंध में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें। | |

नोट : ई–मेल के माध्यम से भिजवाए जाने वाले उपरोक्त दस्तावेज/प्रमाण पत्र/अभ्यावेदन आदि मिलान हेतु मेरे द्वारा काउंसलिंग दिनांक को रजिस्ट्रेशन के समय मूल प्रस्तुत कर दिए जाएंगे, अन्यथा मैं वरीयता हेतु प्राथमिकता निरस्त किए जाने हेतु सहमत हूं।

**हस्ताक्षर अभ्यर्थी** ..............................

**नाम** ....................................................

**पदस्थापन स्थान** ..............................

**मोबाइल नम्बर** ..................................



Scanned by CamScanner